

No.5(2)-E.III/85
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 6th May, 1985.

OFFICE MEMORANDUM


Subject: Revision of the pay scale of the post of Work Assistant in Ministries/Departments of the Government of India.

The undersigned is directed to say that on the basis of an award of the Board of Arbitration the scale of pay of the post of Work Assistant in the Central Public Works Department was revised from Rs.260-430 to Rs.330-480 vide Ministry of Works and Housing's letter No.24/7/78-ECV(EW4) dated 29-10-1983. Requests have been received in the Ministry of Finance for the revision of the pay scale of the post of Work Assistant in other Ministries/Departments of the Government of India on the analogy of the decision relating to the Work Assistants in the C.P.W.D.

2. The matter has been carefully considered in this Ministry. The President is now pleased to decide that the scale of pay of Work Assistants in Ministries/Departments of the Government of India other than the Central Public Works Department, may also be revised from Rs.260-430 to Rs.330-480 provided their recruitment qualifications (including experience etc.) are similar to those prescribed in the case of Work Assistants in the C.P.W.D. Those who do not fulfil the above recruitment qualifications will continue in the pre-revised pay scale.

3. These orders take effect from the date of issue.

Hindi version is enclosed.


(M.S.Mathur)
Director (Coordination)

To,
All Ministries/Departments of the Govt. of India.

No.5(2)-E.III/85

Dated 6th May, 1985.

Copy to: (as per standard list)

'rps'

संख्या-5/2/संस्था0111/85

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 6 - मई, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कार्य सहायक के पद के वेतनमान का संशोधन।

सुझाव देने का निर्देश हुआ है कि मध्यप्रदेश बोर्ड के अधिनियम के आधार पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय के दि०29.10.83 के पत्र सं०24/7/78-ई.सी.पी.ई. डब्ल्यू 4/84 द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य सहायक के पद के वेतनमान को 260-430 रु० से 330-480 रु० में संशोधित किया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य सहायक से संबंधित नियम के अनुरूप भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्य सहायक के पद के वेतनमान में संशोधन करने के लिए वित्त मंत्रालय में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

2. इस मंत्रालय में मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। राष्ट्रपति जी ने अब निर्णय किया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कार्य सहायक के वेतनमान को 260-430 रु० से 330-480 रु० में संशोधित कर दिया जाए बशर्ते कि उनकी भर्ती की अर्हताएं अनुभव आदि को शामिल करके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य सहायकों के संबंध में निर्धारित भर्ती अर्हताओं के समान हों। जो उपर्युक्त भर्ती अर्हताओं को पूरा नहीं करते वे पूर्व-संशोधित वेतनमान में ही बने रहेंगे।

3. ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

संस्था-संस्थापक
॥ एस०एस० नाथूर ॥
निदेशक ॥ सपन्वय ॥

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

सं०5/2/संस्था0111/85

दिनांक 6 - मई, 1985

प्रतिनिधियाँ:- ॥ मानक सूची के अनुसार ॥

॥ व. रावत ॥